फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

1. मांगू पुत्र श्री कालू गाडरी नि0 बरडौद तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.) वगै0

—प्रार्थी

बनाम

1. सुखा उर्फ सुखलाल पुत्र श्री चुना गाडरी नि0 गाडरी तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा वगै0

—विपक्षीगण

किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 93 सन् 2023

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17/2/23	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम बरडौद प.ह. बरडौद भू.अ.नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 2657 रकबा 1.7071है0 में प्रार्थीगण की 03 बीघा जिस पर प्रार्थीगण काबि है से जबरन शक्ति के बल पर बेदखल नही करे व न किसी अन्य से करावे व प्रार्थीगण को उक्त आराजी का शांति पूर्वक ढंग से उपयोग उपभोग करने देवे व किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट न तो स्वयं पैदा करे व न ही किसी अन्य से करावें व आराजियात को किसी अन्य को रहन, विक्रय, हस्तांतरण/खुर्द बुर्द नही करे व दस्तावेज विपक्षी संख्या 07 के यहां पेश करे तो विपक्षी संख्या 07 उसका पंजीयन नही करे व विपक्षी संख्या 06 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करे व विपक्षीगण मौके पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण आदि भी नही करे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखे। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। अगर प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि से विपक्षीगण द्वारा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। —::आदेश::— अतः आदेश दिया जाता है ग्राम बरडौद प.ह. बरडौद भू.अ.नि. हमीरगढ जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 2657 रकबा 1.7071है0 भूमि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलंदाजी नहीं करे न किसी अन्य से करावे एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी पैशी दिनांक 04.05.2023 तक जारी की जाती है। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 04.05.2023 को पैश हो। उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)	

Scanned with CamScanner

प्र.सं.
37/23 भोंगू बनाम अरस्ता

9/8/2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थीगण के प्रा.पत्र पर पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र में निवेदन किया कि अन्तर्गत प्रकरण में हम प्रार्थीगण का विपक्षीगण के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से राजीनामा स्व प्रेरणा से हो गया है कि प्रार्थीगण की इच्छानुसार कि रजिस्ट्री हम वादीगण/प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण/विपक्षीगण द्वारा राजीनामा अनुसार करवाई जा रही है हम वादीगण/प्रार्थीगण प्रकरण में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण दर्ज रजिस्टर पर ड्रोप किये जाने कि आज्ञा पारित कि जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अ.नि. मोहन

अ.नि. भोंगू

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)